फा.सं.-28034/9/2009-स्था. (क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

***

नॉर्थ बलॉक, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30सितम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पति एवं पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती ।

जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सुधार को महत्व दिए जाने के मद्देनजर एवं उन्हें सामान्य जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए एवं बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, पति एवं पत्नी जो सरकारी सेवा में हैं, की एक ही स्टेशन पर तैनाती के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 28034/7/86-स्था.(क) दिनांक 3.4.86 एवं सं. 28034/2/97-स्था. (क) दिनांक 12.06.2004 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे । इस विभाग ने 23.08.2004 को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अक्षरशः: पालन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे ।

2. केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करने की आवश्यकता के सन्दर्भ में इन दिशा-निर्देशों की यह देखने के लिए समीक्षा की गई की क्या इन अनुदेशों को अनिवार्य बनाया जा सकता है । यह निर्णय लिया गया है कि जब पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार में हों या एक ही विभाग में कार्यरत हों एवं यदि पद उपलब्ध हों तो उन्हें अनिवार्यतः उसी स्टेशन पर तैनात किया जाए । कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3.4.86 के पैरा 3(IV) एवं (VI) के उपबंधों को भी सुदृढ़ बनाना आवश्यक है क्योंकि यह हमेशा यह जरूरी नहीं है कि लम्बी सेवा वाले/वाली जीवन साथी की सेवा में पर्याप्त पद हों एवं किसी भी विभाग द्वारा नजदीक के स्टेशन पर तैनाती अनिवार्य कर दी जाए ।

3. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर, सरकारी सेवकों को पहले ही बालचर्या अवकाश के लिए अनुमति दी गई है जो बच्चे के 18 वर्ष तक होने तक देय है । इसी प्रकार, कार्यालय ज्ञापन 12.6.97 के उपबंधों में संशोधन किया गया है ।

4. अब समेकित दिशा-निर्देश निम्नलिखित होंगे :-

(i) जहां जीवन साथी उसी अखिल भारतीय सेवा या आईएएस, आईपीएस एवं भारतीय वन्य सेवा (समूह 'क') में से किन्हीं दो सेवाओं से संबंधित हो :

– सेवा के सदस्य के अनुरोध पर, सेवा सदस्य को इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उसके गृह संवर्ग में तैनात न करने के अध्यधीन एक जीवन साथी को उनके अपने संवर्ग से दूसरे जीवन साथी के संवर्ग में स्थानांतरण द्वारा जीवन साथी का स्थानांतरण किया जा सकता है । संवर्ग में तैनाती, निस्संदेह, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है ।

(ii) जब एक जीवन साथी अखिल भारतीय सेवाओं में से किसी एक से एवं दूसरा जीवन साथी किसी केन्द्रीय सेवा से संबंधित हो :-

– केन्द्रीय सेवा के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी, उस अधिकारी को उस स्टेशन में तैनात कर सकते हैं, यदि उस स्टेशन पर कोई पद न हो तो उस राज्य में तैनात कर सकते हैं जहां अखिल भारतीय सेवा से संबंधित दूसरा जीवन साथी तैनात हो ।

(iii) जहां जीवन साथी समान केन्द्रीय सेवा से संबंधित हो :-

– संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी, जीवन साथियों को उसी स्टेशन पर तैनात कर सकते हैं ।

(iv) जहां एक जीवन साथी किसी एक केन्द्रीय सेवा से संबंध रखता हो एवं दूसरे जीवन साथी अन्य केन्द्रीय सेवा से संबंधित हो :-

– एक स्टेशन पर लम्बी सेवा करने वाला जीवन साथी अपनी/अपने समुचित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन दे सकता है एवं उक्त प्राधिकारी, उक्त अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है, यदि उस स्टेशन पर पद नहीं है तो नजदीक के स्टेशन पर जहां पद विद्यमान है, तैनात कर सकता है । ऐसे मामले में, जब वह प्राधिकारी अनुरोध पर विचार करने के पश्चात, रिक्त पद की अनुपलब्धता के आधार पर इस अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में न हो, कम सेवा वाले/वाली जीवन साथी तदनुसार, समुचित संवर्ग प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है एवं वो प्राधिकारी उक्त अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनाती के अनुरोध पर विचार करेगा यदि उस स्टेशन पर कोई पद न हो तो नजदीक का स्टेशन जहां पद हो, पर तैनात कर सकता है ।

(v) जहां एक जीवन साथी अखिल भारतीय सेवा एवं अन्य जीवन साथी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित हों :-

– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत कार्यरत जीवन साथी, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है एवं उक्त प्राधिकारी उस अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है या यदि पीएसयू में उस स्टेशन पर कोई पद न हो तो उस राज्य में तैनात कर सकता है जहां दूसरा जीवन साथी तैनात हो ।

(vi) जहां एक जीवन साथी केन्द्रीय सेवा और दूसरा पीएसयू से संबंधित हो :-

– पीएसयू के अंतर्गत कार्यरत जीवन साथी, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दे सकता है एवं उक्त प्राधिकारी, उस अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है, या यदि उस स्टेशन पर पीएसयू के अंतर्गत कोई पद न हो तो जहां दूसरा जीवन साथी तैनात है उस स्टेशन के नजदीक उसे तैनात कर सकता है । यदि, पीएसयू में उक्त स्टेशन पर पद न होने के कारण, इस अनुदेय की अनुमति नहीं दी जा सकती हो तो केन्द्रीय सेवा से संबंधित जीवन साथी समुचित नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है एवं उक्त प्राधिकारी उस अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है, यदि उस स्टेशन पर कोई पद न हो तो, उस स्टेशन के

नजदीक स्टेशन पर उन्हें तैनात किया जा सकता है, जहां पीएसयू में नियुक्त जीवन साथी तैनात है ।

(vii) जहां जीवन साथी में से एक केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत हो और दूसरा जीवन साथी राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत हो :-

– केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत जीवन साथी सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी उस अधिकारी को उसी स्टेशन पर तैनात कर सकता है और यदि उस स्टेशन पर पद न हो तो उस राज्य में तैनात कर सकता है जहां दूसरा जीवन साथी तैनात है ।

(viii) – यदि पति एवं पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हों एवं वहां पर अपेक्षित स्तर का पद उपलब्ध हो, तो उन्हें सामान्य जीवन जीने एवं 18 वर्ष तक उनके बच्चों की देखभाल के लिए, उन्हें सामान्यत: एक साथ ही तैनात किया जाना चाहिए । यह केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति पर लागू नहीं होगा । जहां केवल पत्नी ही सरकारी सेवा में हो वहां उक्त रियायतें सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी।

5. कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती है कि जीवन साथी के तैनाती के स्टेशन पर पद उपलब्ध होते हुए, भी, प्रशासनिक प्राधिकारी, प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर, कर्मचारियों को तैनात नहीं करते । ऐसे सभी मामलों में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को कर्मचारी को जीवन साथी के स्टेशन पर तैनात करने का प्रयास करना चाहिए ओर ऐसा न कर पाने पर, कर्मचारी को विशिष्ट कारण बताए जाने चाहिए ।

6. यद्यपि मंत्रालयों/विभागों में अभ्यावेदनों/शिकायत निवारण तंत्र के सामान्य चैनल विद्यमान हैं और अनुपालन रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षोपाय, यह सुनिश्चित करके किए जा सकते हैं कि अनुदेशों के पालन न करने के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में निर्णय मूल निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों के एक स्तर उपर के प्राधिकारियों द्वारा लिया जाए जिससे भारत सरकार/संबंधित पीएसयू के मुख्य सचिव स्तर के नीचे के अधिकारी हो ।

(हस्ताक्षर)
(सी.बी. पालीवाल)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग